



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022024-251864
CG-DL-E-06022024-251864

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2024/माघ 16, 1945

No. 449]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2024/MAGHA 16, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2024

का.आ. 477(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4856 तारीख 08/11/2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के कोटा जिले में NH148N के कि.मी. 346.5 से कि.मी.450.464 (उपखण्ड अधिकारी कार्यालय दिगोद) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19.12.2023 " को "दैनिक भास्कर" और "दैनिक नवज्योति" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के कोटा जिले में NH148N के कि.मी. 346.5 से कि.मी.450.464 (उपखण्ड अधिकारी कार्यालय दिगोद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: कोटा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: दिगोद					
गांव का नाम: तोरण					
1	1383	निजी (0)	नहरी प्रथम	0.1744	यक्ष मित्तल, गर्वित मित्तल (नबालिग) पुत्र अनिल मित्तल संरक्षक पिता जाति महाजन निवासी संजय नगर
2	1385	निजी (0)	नहरी प्रथम	0.0416	यक्ष मित्तल, गर्वित मित्तल (नबालिग) पुत्र अनिल मित्तल संरक्षक पिता जाति महाजन निवासी संजय नगर
कुल योग				0.216	

[फा. सं. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2018/LA/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2024

S.O. 477(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4856 Dated:08/11/2023**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation

of NH148N in the stretch of land from Km. 346.5 to Km. 450.464 (SDO Office Digod) in the district of KOTA in the state of RAJASTHAN;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Dainik Navjyoti” both dated 19.12.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH148N in the stretch of land from Km. 346.5 to Km. 450.464 (SDO Office Digod) in the district of KOTA in the State of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN			District: KOTA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Digod					
Village: Toran					
1	1383	Private (0)	Nahari-1	0.1744	yaksh mittal, Garvit mittal navik S/O anil mittal sanrakshak father cast mahajan nivasi sanjay nagar
2	1385	Private (0)	Nahari-1	0.0416	yaksh mittal, Garvit mittal navik S/O anil mittal sanrakshak father cast mahajan nivasi sanjay nagar
Total				0.216	

[F. No. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2018/LA/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.